



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



प्रेस नोट थाना उत्तर दिनांक 11-04-24 जनपद फिरोजाबाद ।

थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अवैध रूप से चल रही अवैध शराब भट्टी का पर्दाफाश करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार कब्जे से 245 लीटर कच्ची देशी नाजायज शराब व भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10-04-2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.प्रताप पुत्र श्री कुंवरपाल नि0 टापाकलां थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 35 वर्ष 2. धारा पुत्र श्री रमेशचन्द नि0 कौशल्या नगर गली नं0- 1 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद उम्र- 29 वर्ष को मय प्लास्टिक की 04 केन जिनमें 50-50 लीटर कच्ची देशी शराब , 03 अदद प्लास्टिक के डिब्बे 15-15 लीटर कच्ची देशी शराब कुल मात्रा लगभग 245 लीटर व एक टीन का कनस्तर /पीपा जिसके मुंह पर पाईप को मिट्टी व कपडे की मदद से बंधा हुआ है, एक प्लास्टिक पाईप ,एक स्टील की डोलची, एक कपडा का बना हुआ गोलाकार एक अदद गैस सिलेण्डर मय गैस चूल्हा , एक प्लास्टिक की बाल्टी,एक मग्गा प्लास्टिक एवं भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरणों सहित जलेसर रोड डीएस गार्डन के पीछे खाली पडी जगह में एक खाली कोठरी से गिरफ्तार किया गया है । बरामद अवैध शराब के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना उत्तर पर मु0अ0स0- 236/24 धारा 60(2) EX.Act पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि साहब चुनाव का समय आ गया है देशी शराब की माँग बढ जाती है और आगामी चुनाव मे ऊँचे दामों मे बेचने के लिए कच्ची देशी शराब बना रहे थे और समय आने पर इस शराब को ऊँचे दामों में बेच देते ।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त:-

- 1.प्रताप पुत्र श्री कुंवरपाल नि0 टापाकलां थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 35 वर्ष
2. धारा पुत्र श्री रमेशचन्द नि0 कौशल्या नगर गली नं0- 1 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद उम्र- 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रताप -

- 1-मु0अ0सं0 77/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जीआरपी जनपद अलीगढ़ ।
- 2-मु0अ0सं0 940/2012 धारा 363/366 भादावि थाना उत्तर फिरोजाबाद ।
- 3-मु0अ0सं0 268/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना उत्तर फिरोजाबाद ।
- 4-मु0अ0सं0 236/24 धारा 60(2) EX.Act थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त धारा पुत्र श्री रमेशचन्द्र -

1. मु0अ0सं0 458/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना उत्तर फिरोजाबाद ।
2. मु0अ0सं0- 236/24 धारा 60(2) EX.Act थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

1. प्लास्टिक की 04 केन जिनमें 50-50 लीटर कच्ची देशी शराब ,
2. 03 अदद प्लास्टिक के डिब्बे 15-15 लीटर कच्ची देशी शराव कुल मात्रा लगभग 245 लीटर
3. एक टीन का कनस्तर /पीपा
4. एक प्लास्टिक पाईप ,
5. एक स्टील की डोलची,
6. एक कपडा का बना हुआ गोलाकार
7. एक अदद गैस सिलेण्डर
8. गैस चूल्हा ,
9. एक प्लास्टिक की बाल्टी,
10. एक मग्गा प्लास्टिक
11. भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरणों

गिरफ्तारी का स्थान व समय -

जलेसर रोड डीएस गार्डन के पीछे खाली पडी जगह में एक खाली कोठरी थाना उत्तर फिरोजाबाद दिनांक- 10.04.2024 को समय करीब 22.50 बजे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री वैभव कुमार सिंह थाना उत्तर, फिरोजाबाद
2. 30नि0 श्री राकेश कुमार गिरी चौकी प्रभारी कोटला, थाना उत्तर, फिरोजाबाद
3. 30नि0 श्री जतिनपाल चौकी प्रभारी विभवनगर थाना उत्तर फिरोजाबाद
4. 30नि0 श्री अशोक कुमार चौकी प्रभारी ककरऊ कोठी थाना उत्तर फिरोजाबाद
5. हे0का0 200 अशोक कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
6. है0का0 431 सुभाष चौधरी थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
7. है0का0 636 सतीश चन्द्र शर्मा थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
8. का0 836 लव प्रकाश थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद